भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3093

जिसका उत्तर 06.08.2026 को दिया जाना है

सी.आर.आई.एफ. सेतु बंधन योजना का कार्यान्वयन

†3093. श्री कुंदुरु रघुवीर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान देशभर में सड़क उपरि पुलों (आर.ओ.बी.) और सड़क अधोगामी पुलों (आर.यू.बी.) के निर्माण के लिए सी.आर.आई.एफ. सेतु बंधन योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण किए गए, निर्माणाधीन और लंबित कार्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा यदि कोई देरी हुई है, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सड़क सुरक्षा में सुधार करने, यातायात की भीड़भाड़ को कम करने और वाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आर.ओ.बी./आर.यू.बी. के प्राथमिकता के आधार पर निर्माण की आवश्यकता वाले रेलवे समपार की पहचान की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का तेलंगाना सहित बड़ी संख्या में लंबित समपारों वाले राज्यों में अतिरिक्त आर.ओ.बी./आर.यू.बी. स्वीकृत करने का प्रस्ताव है और इसके लिए अपनाए गए प्राथमिकता निर्धारण के मानदंड क्या हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त योजना के तहत स्वीकृतियों में तेजी लाने, कार्यों को समय पर पूरा करने तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, संशोधित सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार, सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा विधिवत अनुमोदित मानदंडों के आधार पर, केंद्रीय सड़क और अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) योजना के अंर्तगत राज्य सड़कों के विकास एवं रखरखाव के लिए तेलंगाना राज्य सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आवंटित और जारी करता है। वर्ष 2022-23 में सरकार ने राज्य सड़कों के लिए सीआरआईएफ योजना के तहत मौजूदा रेलवे लेवल क्रॉसिंग के प्रतिस्थापन और राज्य सड़कों पर "सेतु बंधन" के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्र पुलों के निर्माण के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम भी शुरू किया है।

सरकार, उपरोक्त मानदंडों के अनुसार राज्य सड़क परियोजनाओं की सूची को अनुमोदित करता है, जिसमें सेतु बंधन के तहत सड़क अधोपुल (आरओबी) / सड़क ऊपरि पुल (आरयूबी) / पुल परियोजनाओं के प्रस्ताव शामिल हैं, जिन्हें तेलंगाना राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों

द्वारा सीआरआईएफ अधिनियम, 2000 के तहत पहले से स्वीकृत कार्यों के वर्तमान वर्ष के संचय और बकाया प्रतिबद्ध देनदारियों के आधार पर प्राथमिकता दी गई है और अनुशंसित किया गया है।

तदनुसार, सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में शुरू हुई सीआरआईएफ योजना के तहत सेतु बंधन के अंतर्गत 11,355 करोड़ रुपये की लागत वाली 271 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है, जिनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है। इनमें से 544 करोड़ रुपये की लागत वाली 14 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

(ड.) सरकार ने अवसंरचना विकास में दक्षता, पारदर्शिता और अंतर-एजेंसी समन्वय को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अन्य बातों के साथ ही संबंधित प्रमुख अनुमोदन एवं निरीक्षण प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ करने के लिए पीआरआईएसएम-एसजी पोर्टल (रेल-सड़क निरीक्षण एवं चरण प्रबंधन - स्टील गर्डर पोर्टल) का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल, संपूर्ण ऑडिट ट्रेल और वास्तविक समय की निगरानी क्षमताओं की मदद से दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करने, जांच करने, प्रश्न पूछने और उनका समाधान करने, अनुमोदन प्राप्त करने, निरीक्षणों का समय निर्धारित करने और निरीक्षण रिपोर्ट, फोटो, परीक्षण परिणाम अपलोड करने की संपूर्ण ऑनलाइन सुविधा प्रदान करता है।

हालांकि, सीआरआईएफ योजना के तहत अनुमोदित सूची में शामिल अलग-अलग परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी के साथ ही उनके कार्यान्वयन, निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण का अधिकार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के पास है।

अनुलग्नक

"सी.आर.आई.एफ. सेतु बंधन योजना का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री कुंदुरु रघुवीर द्वारा पूछे गए दिनांक 06.08.2026 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 3093 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2022-23 में शुरू होने के बाद से सीआरआईएफ योजना के तहत सेतु बंधन के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:-

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**संख्या**	**लागत (करोड़ रुपए)**
1	आंध्र प्रदेश	6	449
2	अरुणाचल प्रदेश	18	306
3	असम	17	231
4	बिहार	15	669
5	छत्तीसगढ	7	357
6	गुजरात	16	1,000
7	हरियाणा	2	55
8	हिमाचल प्रदेश	4	231
9	झारखंड	6	342
10	कर्नाटक	22	785
11	केरल	7	167
12	मध्य प्रदेश	18	861
13	महाराष्ट्र	34	1,473
14	मणिपुर	4	40
15	मेघालय	6	76
16	मिजोरम	1	70
17	नागालैंड	11	48
18	ओडिशा	2	435
19	पंजाब	4	184
20	राजस्थान	22	1,088
21	सिक्किम	2	24
22	तमिलनाडु	4	346
23	तेलंगाना	7	536
24	त्रिपुरा	3	64
25	उत्तर प्रदेश	14	932
26	उत्तराखंड	6	194
27	लद्दाख	13	393
